न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 32 / 2017

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 धीसालाल गोदपुत्र आसुलाल जाति साद निवासी किरवा तहसील पाली		1 ग्राम पंचायत किरवा जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री झूंझाराम परमार, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 29.12.2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, किरवा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 11.07.2011 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सम्बन्धित रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार का प्रतिकार नही किया गया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी का एक कब्जासुदा आधिपत्यसुदा नोहरा ग्राम किरवा की आबादी में आया हुआ है, जिसके पूर्व में मांगीलाल पुत्र चैनाजी की खातेदारी भूमि है, पश्चिम में राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं भारत दूर संचार विभाग का भवन स्थित है। उत्तर में आम रास्ता 80फुट चौडा है तथा दक्षिण में श्मसान भूमि पर जाने का 30फुट चौडा रास्ता स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने पिता के जीवनकाल से कब्जा है, जिसका उपयोग उपभोग वर्तमान में प्रार्थी अपने पशु बांधने के लिये तथा पशुओं के लिये चारा रखने के लिये तथा जलाने की लकडी रखने के लिये तथा प्रार्थी औजार रखने के लिये करता आरहा है। जिस नोहरे के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई नोहरा (बाडा) नही है, परन्तु अप्रार्थी द्वारा जैर निगरानी आदेश प्रस्ताव संख्या 3 पारित कर प्रार्थी को उसकी कब्जासुदा, आधिपत्यसुदा नोहरे से बेदखल करने बाबत दिनांक 11.07.2011 को आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर अपने पिता के समय से कब्जा है, जिससे प्रार्थी मुखालफाना कब्जा के आधार पर मालिक हो गया है। प्रार्थी के बाडे के पश्चिम में बिल्डिंग लाईन में चिपता ही राजीव गांधी सेवा केन्द्र का भवन बना हुआ है तथा इसी खसरा नम्बर 186 की भूमि पर ग्राम पंचायत के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में राजस्व सरकार द्वारा 25

अति० जिला कलेक्टर, पाली

बाई 50 फुट की भूमि का परिवर्तन कर दूर संचार विभाग का भवन बना हुआ है। इस भूमि के पास ही राजीव गांधी सेवा केन्द्र बना हुआ है। प्रार्थी की कब्जासुदा भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 16.09.2010 को अप्रार्थी द्वारा प्रस्ताव संख्या 21 पारित किया जाकर खसरा नम्बर186 रकबा 10 बिस्वा भूमि की किस्म परिवर्तन करवाये जाने बाबत सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है तथा प्रस्ताव की प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी पाली को किस्म परिवर्तन आबादी में करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा तहसीलदार पाली से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट में प्रार्थी का बाडा आबादी से चिपता होना बताते हुए एवं रास्ते में कोई बाधा नही होना उल्लेखित किया। इस पर उप जिला कलक्टर द्वारा आबादी घोषित करवाने हेतु राज्य सरकार को अभिशंषा की गई, जो पत्रावली आज भी विचाराधीन है। वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 186 पर ग्राम पंचायत कीरवा का कोई हक अधिकार नही है, क्योंकि यह भूमि राजस्व भूमि है, जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कीरवा को प्रस्ताव पारित करने का कोई हक अधिकार नही है। राज्य सरकार की ग्रामीण इलाकों में पुराने कब्जों को नियमित करने की मंशा रही है तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 1996 के नियम 157 तथा नियम 158 के तहत भी पुराने गृहों तथा पुराने कब्जो को जो सरकारी भूमि पर किये गये है, को विनियमितिकरण करने तथा कमजोर वर्गो को भूमि के आवंटन करने के नियम बनाये गये है। प्रार्थी पिछडी जाति के व्यक्ति है, जिससे उक्त वादस्थ भूमि को नियमित करवाने के अधिकारी है। इस कारण जैर निगरानी प्रस्ताव काबिल खारिज है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा व उसकी पालना में जारी पट्टा निरस्त करावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, किरवा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 11.07.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त प्रस्ताव के जरिये ग्राम पंचायत कोरम द्वारा घीसालाल पुत्र पूनमदास जाति साद निवासी कीरवा द्वारा गै0मु0 रास्ते पर खसरा नम्बर 186 पर बाड आदि कर किये गये अतिक्रमण हटवाने एवं इस सम्बन्ध में नियमन की कार्यवाही निरस्त करने का निर्णय लिया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के अध्याय 9 के नियम 136 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि (1) सभी कॉमन भूमियां और सार्वजनिक मार्ग उनके खडंजों, पत्थरों और अन्य सामग्री सहित तथा पंचायत सर्किल के आबादी क्षेत्र के भीतर पड़ने वाली सभी सरकारी भूमियां पंचायत में निहित होंगी और उसकी होगी। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा गै0मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने पर ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा पारित करते हुए उक्त भूमि से प्रार्थी का अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश ग्राम पंचायत की कोरम द्वारा पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। इस प्रकार ग्राम पंचायत कीरवा द्वारा

अति० जिला कलेक्टर, पाली

पारित जैर अपील आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है एवं ग्राम पंचायत, किरवा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 11.07.2011 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली